

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक जनवरी 17, 2023

!!□ आज दिनांक 17.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

***1.* "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक ।**

***2.* महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई ।**

3.* यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 232 वाहनों का चालान किया गया।

***4.* पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठक कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी । तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।**

5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 61 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

6. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके । तथा नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 483 व्यक्तियों को धारा 34 पुलिस अधिनियम में तथा 14 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 110 जी जा०फौ० में वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त अनिल पुत्र रामवेलास नि० ग्राम धमउर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 21/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया । 2. अभियुक्त उपेन्द्र साहनी पुत्र लक्ष्मीपुर नि० ग्राम गेड़हवा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 22/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त उमेश कुमार यादव पुत्र बरखू यादव नि० गढवा हरैया बरगदवा थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 28/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

8.कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. नरेश गुप्ता पुत्र स्व० मुन्नीलाल गुप्ता नि० गौतमबुद्धनगर वार्ड नं० 14 थाना नौतनवां, 2. मदन साहनी पुत्र रामबृक्ष साहनी नि० सिंहपुर थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 बोरी यूरिया खाद व 02 अदद पुरानी साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/23 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

09. *विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

10. *जनपद में 16/17.01.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 30 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

11.आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा ।